ResearchPro International Multidisciplinary Journal

Vol- 1, Issue- 2, October-December 2025 ISSN (O)- 3107-9679
Email id: editor@researchprojournal.com Website- www.researchprojournal.com

मानवाधिकार की उपयोगिता

डॉ. भावना कमाने

प्रभारी–प्राचार्य, बाबू पढरीराव कृदत शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी, धमतरी (छ.ग.)

व्यक्ति को एक मानव होने के नाते स्वयमेव मानव के अधिकारों की प्राप्ति हो जाती है। मानव को समुचित रूप से जीवन जीने तथा जीवन को विकसित करने के लिए खुली छूट है, परन्तु इसमें एक शर्त है कि जीवन जीने का तथा उसको विकसित करने का तरीका नैतिक होना अनिवार्य है। अनैतिका का मार्ग अवैध माना जाता हैं मानवाधिकार शब्द युग्म शब्द है मानव+अधिकार मानवाधिकार। मानवाधिकार का शाब्दिक अर्थ है– मानव से सम्बन्धित नैसर्गिक अधिकार। इसका विश्लेषण इस प्रकार है– मानव के अस्तित्व, गरिमा एवं उसके समग्र विकास से सम्बन्धित ही मानवाधिकार है। मानवाधिकार का अर्थ है मानव को कुछ करने या रखने की स्वतंत्रता। अधिकार विधि द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित होते हैं। मानवाधिकार का एक अन्य अर्थ इस प्रकार है– अर्थात् मानव को प्राप्त कुछ अधिकार जो उसके अस्तित्व एवं विकास के लिए अपरिहार्य हैं।

''मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त हैं। मानवाधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है।''[1]

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने यह घोषणा की कि–''सभी मनुष्य स्वतंत्रता एवं सम्मान में समान और समान पैदा होते हैं और यह कि हर कोई इस घोषणा में उल्लिखित सभी अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का हकदार है बिना किसी भेदभाव के किसी भी तरह की नस्ल जैसे कि नस्ल रंग, लिंग, भाषा, धर्म जन्म या अन्य कोई भी स्थिति।''[2]

संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास के लक्ष्यों, गरीबी को कम करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये हैं जिसमें शिक्षा, कार्य और प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता के लक्ष्य सम्मिलित हैं। 1970 के दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी आन्दोलन ने गति पकड़ना शुरू कर लिया था। मानव–समुदाय का मानव की सभ्यता का इतिहास हजारों वर्ष प्राचीन है। भारतीय समाज अथवा पूरे मानव समाज के व्यवहार पर हम आश्चर्य प्रकट कर सकते हैं पहला आश्चर्य मानव समुदाय के व्यवहार पर है जिसमें वह इतना अधिक भेदभाव वाला है। मानवाधिकार को अधिकतर मौलिक अधिकारों के स्वरूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व की समस्त मानव जाति को ये अधिकार प्राप्त हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को मान्यता एवं विधि समस्त पर अधिकार प्राप्त हैं, परन्तु फिर भी हमारे देश भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व में मानवाधिकारों का उल्लंघन अत्यधिक चिन्ता का विषय है। मानवाधिकारों की समस्याएँ बहु आयामी हैं।

मानवाधिकारों की श्रृंखला सदियों से चली आ रही है जो गरिमा, समानता तथा न्याय के संघर्ष को उजागर करती है। इस संदर्भ एक संदर्भ इस प्रकार है–

''मानवाधिकार नागरिक और राजनीतिक अधिकार कानून के समक्ष व्यक्ति की पवित्रता को बनाये रखते हैं तथा नागरिक, आर्थिक और राजनीतिक समाज में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की उसकी क्षमता की गारंटी देते हैं। नागरिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, कानून सम्मत सुरक्षा का अधिकार, कानून की उचित प्रक्रिया का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा

पूजा–अर्चना एवं पूजा–पाठ का अधिकार जैसे अधिकार सम्मिलित हैं।''[3]

भारतवर्ष एक सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र है। यहाँ पर अनेक धर्म, सम्प्रदाय जातियाँ जातियाँ एवं समुदाय के लोग निवास करते हैं जिनकी संस्कृति, सभ्यता, रीति–रिवाज, खान–पान, रहन–सहन तीज–त्यौहारा तथा भाषा–शैली पृथक–पृथक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय समाज विविधताओं से परिपूर्ण होने के बावजूद भी अनेकता में एकता के सिद्धान्त पर आधारित है। संगठित होने के मूल यही एकता ही केन्द्र बिन्दु की भाँति स्थित है। मानवाधिकारों का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति तथा शासन व्यवस्था के मध्य एक ऐसा तारतम्य स्थापित करना जिससे व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रखने हेतु नियम का उल्लंघन न हो। सरकार का दायित्व यह है कि मानवाधिकारों को उल्लंघन से बचाना। इस प्रकार मानव जीवन के अधिकारर का अर्थ है कि सरकार द्वारा मनुष्य की हत्या होने से बचाना। जब राजाशाही थी उस समय भी राजा सहित सभी लोगों के लिए मानवाधिकार का कानून लागू था। मानवाधिकार में वे समस्त मौलिक अधिकार बिना किसी लिंग, जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता तथा रीति–रिवाज बिना भेदभाव के उसे मानव होने के नाते प्राकृतिक तथा कानूनन दोनों माध्यमों से प्राप्त हैं। मानवाधिकार में वे मानक हैं जो समस्त मानव जाति को गरिमा और मूल्य को मान्यता प्रदान करते हैं। मानव को अधिकार स्वाभाविक रूप से निहित होते हैं। मानवाधिकारों का उद्देश्य सभी को भय, उत्पीड़न या भेदभाव से मुक्त जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करना है।

मानवाधिकार सभी के लिए समान हैं और इनमें बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्यों को सम्मिलित किया जाता है। समस्त मानवाधिकार ही कानून का मुद्दा अर्थात् कानून में सम्मिलित किये जाते हैं। मानवाधिकार वे मानक हैं समस्त मानव समुदाय को प्राप्त हैं। मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के उन न्यूनतम अधिकारों से है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिएए क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानव अधिकार किसी राज्य द्वारा नहीं प्रदान किये जाते हैं बल्कि ये सावभौमिक अधिकार हैं जो हम सभी में निहित हैं।

मानव अधिकार में दो प्रमुख रूप से मूल्य निहित हैं मानवीय गरिमा तथा समानता। मानव अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जिनके बिना मानव अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता है। मानव अधिकार में सम्मिलित सुविधाएँ व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं।

मानव अधिकार तीन प्रकार के होते हैं। यथा–

1. प्रकृति प्रदत्त अधिकार।
2. नैतिक अधिकार
3. कानूनी (विधि सम्मत) अधिकार।

''हमारे देश भारतवर्ष में मानवाधिकारों का उत्पीड़न (हनन) विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से होता है। यथा–हत्या एवं हत्या के प्रयास, अपहरण एवं भगाकर ले जाना, डकैती अथवा डकैती का प्रयास, छीनना, सेंधमारी जेब कतरी, चोरी, दंगा, आगजनी, गम्भीर चोट पहुँचाना, विश्वासघात, ठगी, जालसाजी तथा मानव तस्करी एवं शारीरिक अंगों की तस्करी आदि।''[4]

जब हत्या के माध्यम से व्यक्ति पर वांछित दबाव उत्पन्न किया जाता है जिसकी गणना जघन्य अपराधों में है तब यह अपराध व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। नागरिकों का अपहरण एक ओर स्वतंत्रता का हनन है तथा दूसरी ओर उस व्यक्ति को जीवन के अधिकार एवं सम्पत्ति से वंचित करने का प्रयास भी है। डकैती के अपराध के माध्यम से व्यकित पर भय का वातावरण उत्पन्न किया जाता है। जबरदस्ती सामान या धन छीनना, दीवार में बड़ा छेद करके घर का कीमती सामान लेना सेंधमारी का अपराध माना जाता है एक प्रकार से यह भी चोरी के अन्तर्गत ही आता है।

''जब एक धार्मिक, जातीय, भाषायी अथवा अन्य कोई उन्मादी कानून का उल्लंघन करके दूसरे की सम्पत्ति को हानि पहुँचाता है तो इस व्यवहार को दंगा कहा जाता है।''[5]

दंगा वास्तविक रूप से व्यक्तियों के जीवन के अधिकार एवं व्यवस्था के अधिकार का घोर उल्लंघन इसमें कभी–कभी पूरा देश ही इसकी चपेट में आ जाता है। इस अपराध से समाज में दीर्घकालीन भय की स्थिति पैदा कर देता है जिससे विकास की गति ही स्थिर हो जाती है।

मानवाधिकारों को बाधित करने कुछ अपराध इस प्रकार के भी हैं। यथा–

1. मानव या मानव अंगों की तस्करी
2. विभिन्न समूहों में झगड़ा पैदा करना अथवा झगड़ों हेतु बढ़ावा देना, गलत अफवाहों के माध्यम से।
3. जबरन वसूली (गुण्डा टैक्स) आवांछित नव युवकों द्वारा बाजारों (दुकानदारों) से अवैध धन उगाही।
4. लापरवाही से वाहन संचालन।
5. महिलाओं का जबरन शील भंग आदि।

उपरोक्त समस्त कृत्य मानवाधिकारों के उल्लंघन में समावेशित हैं।

निष्कर्ष

मानवाधिकारों में नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की दृष्टि से लोकतंत्र को शासन प्रणाली का सर्वोत्तम अंग माना जाता है। दायित्व के अभाव में मानवाधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। मानवाधिकारों के हनन की रोकथाम के लिए अनेक प्रकार के संगठनों जैसे मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकार समिति तथा न्यायालय आदि को अपने दायित्वों को निभाना अति आवश्यक है तभी मानवाधिकारों का समुचित ढंग से क्रियान्वयन हो सकता है। क्रियान्वयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता का होना नितान्त आवश्यक है भेदभाव की नीति अपनाने से अन्याय होने की सम्भावना बनी रहती है। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए मानव अधिकार प्रक्रिया का रवैया भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की प्रक्रिया में जनता का सक्रिय रहना अनिवार्य है क्योंकि स्वच्छ सरकार में ही आम नागरिक समान अधिकार प्राप्त हो सकता है। इसलिए मानवाधिकारों का पालन अत्यंत आवश्यक है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ

1. लोकतंत्र और मानवाधिकार–रामानन्द, पृ. 18, संस्करण 2017, निखिल पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा।
2. तृतीय लिंग के संदर्भ में मानवाधिकार–डॉ. नाज बेन्जामिन, पृ. 93, संस्करण 2024, संकल्प प्रकाशन कानपुर।
3. मानव अधिकार सम्याएँ और सम्भावनाएँ–डॉ.टी.एल. मिर्झा, पृ. 18, संस्करण 2024, संकल्प प्रकाशन कानपुर।
4. लोकतंत्र और मानवाधिकार–रामानन्द, पृ. 30
5. वही, पृ. 34

Cite this Article

"डॉ. भावना कमाने", "मानवाधिकार की उपयोगिता', ResearchPro International Multidisciplinary Journal (RPIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:1, Issue:2, October-December 2025.

Journal URL- https://www.researchprojournal.com/

DOI- 10.70650/rpimj.2025v1i200008